स्पाइसेस बोर्ड Spices Board

(निर्यातकों का पंजीकरण) (Registration of Exporters)

> विनियम, 1989 Regulations - 1989

(19.10.93 तक यथा संशोधित) (As amended upto 19.10.93)



स्याइसेस बोर्ड Spices Board

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Commerce, Govt. of India)

पी.बी. नं. 2277

P. B. No. 2277

कोच्ची - 682 025

Cochin - 682 025

स्पाइसेस बोर्ड अधिसूचना कोचिन, 5 अक्तूबर, 1989

मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 फा.सं.प्र/पंजी/01/89- मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संस्कार के पूर्व अमुमोदन से मसाता बोर्ड निम्नलिखित विनियम

CONTRACTOR SECTION

बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

- इन विनिमयों का नाम, मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989
 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:-

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- i) 'अधिनियम' से मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत हैं;
- ii) 'बोर्ड' से अधिनियम को धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड अभिप्रेत हैं:
- iii) 'वर्ष' से अप्रैल एक से प्रारंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;
- iv) 'अध्यक्ष' से बोर्ड के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- v) 'सचिव' से धारा 4 के अर्थीन नियुक्त कोई के सचिव अभिप्रेत है;
- vi) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- vii) 'नियम' से मसाला बोर्ड नियम, 1987 अभिप्रेत है;
- viii) 'उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उसमें है।

Spices Board NOTIFICATION

Cochin, 5th October 1989

The Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989

F. No. Adm/Reg/01/89 - In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act 1986, the Spices Board hereby makes the following Regulations, with the previous approval of the Central Government, namely:-

1. Short title and commencement:

- 1. These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- i) "Act" means the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986).
- ii) "Board" means the Spices Board constituted under section 3 of the Act.
- iii) "Year" means the year commencing on the first day of April.
- iv) "Chairman" means the Chairman of the Board.
- v) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed under section 4.
- vi) "Section" means a section of the Act.
- vii) 6 "Rules" means the Spices Board Rules, 1987.
- viii) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the Rules shall have the same meanings respectively assigned to them.

3. निर्यातक के रूप में नया प्रमाण पत्र देने की शर्ते:-

- 1. क. धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिये आवदेन नियमों में बताये 'प्रपत्र 1' में बोर्ड के सचिव को देना है। प्रत्येक आवेदन के साथ मसाला बोर्ड कोचिन के पक्ष संदेय दो हजार रुपए की फीस क्रांस मांग देय (ड्राफ्ट) या पोस्टल आर्डर या एम. ओ. द्वारा दी जाएगी।
 - ख. एक बार जब फीस बोर्ड को दी गयी है तो वह किसी भी हालत में वापस न दी जाएगी।
 - ग. प्रमाणपत्र की मंजूरी केलिये आवेदन के साथ वित्तीय दुरुस्तता के संबंध में बैंक संदर्भ/प्रमाणपत्र भेजना होता है।
 - घ. प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी, अगर आवेदक की उपयुक्तता पर संतुष्ट है तो जिन वस्तुओं केलिए प्रपत्र में 1 में नियम के अनुसार प्रमाणपत्र वांछित किया गया है तो 'प्रपत्र क' में मसालों के निर्यात केलिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
 - ड. प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्रधारी को वैयक्तिक रूप से दिया गया माना जाएगा और कोई भी प्रमाणपत्र बिका या तो अन्तरित नहीं किया जा सकता।
 - च. जहां एक प्रमाणपत्रधारी अपना व्यापार किसी व्यक्ति को बिकता या अन्तरित करता है, खरीददार या अन्तरणकर्ता को, यथास्थित इन विनियमों एवं नियमों के अनुसार एक नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
 - छ. जहां कहीं किसी प्रमाणपत्रधारी निर्यातक के स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में कोई परिवर्तन हो तो, उसे इस परिवर्तन के बारे में प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को परिवर्तन तारीख के 30 दिन के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए। प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के होने पर, इस संबंध में विलंब केलिए तीन महीने तक माफ कर सकते हैं। इन मामलों में जहां, विलंब को प्रमाणपत्र निर्गमत प्राधिकारी द्वारा माफ नहीं किया गया है, दिए गए/ अनुमत्य समय के अन्तर्गन, परिवर्तन के बारे में अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है तो, निर्यातक को नए पंजीकरण केलिए आवेदन देना होगा। निर्माता निर्यातकों के मामलों में, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को परिवर्तन के संबंध में, यह भी सत्यापित करना होगा कि प्रायोजक प्राधिकारी की अनुमति मिली है या नहीं।

^{1.} भारत सरकार अधिसूचना सं. 41; दिनांक 19/10/93 द्वारा संशोधित

3. Conditions for grant of fresh certificate as Exporter:

- 1. a) An application for grant of certificate under section 12 shall be made to the Secretary of the Board in 'Form 1' mentioned in the Rules. Every application shall be accompained by a fee of Rupees two thousand by a crossed demand draft/postal order/M.O. drawn and payable to the Spices Board, Cochin.
 - b) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.
 - Application for grant of certificate shall be accompained by a Bank Reference/Certificate in respect of the financial status.
 - d) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the applicant, issue a certificate to export spices to the applicant in 'Form A' in respect of the commodities for which the certificate is sought in 'Form 1' indicated in the Rules.
 - e) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.
 - f) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be, shall obtain a fresh certificate in accordance with the provisions of these Regulations and Rules.
 - Where there is any changes in the ownership, constitution, name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the Certificate issuing authority within a period of 30 days from the date of the change. The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard upto a period of three months. In case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time as laid down/as may be permitted, the exporter shall apply for fresh registration. In the case of manufacturer-exporters the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained.

¹ Amended by Notification No. MD/L&R/01/92.93 dated 19.10.93

यथोचित सत्यापन के बाद, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी नए या पुन:संघटित संस्था को एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं जो नाम स्वामित्व, या संघटन के परिवर्तन की तारीख मामला जो भी है, से मान्य होगा।

- ज. जहां कहीं प्रमाणपत्रधारी निर्यातक फर्म के संघटन में एक साझेदार की भर्ती या सेवा-निवृत्ति या मृत्यु से, (या हिन्दू अविभाजित पारिवारिक संबंध के मामलों में कार्टा में परिवर्तन) और पुनर्संगठित फर्म पूरे व्यापार को उसके नाम या पते में कोई परिवर्तन के बिना ले लेता है तो ऐसे परिवर्तन बताए गए अनुसार प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी से नए पंजीकरण की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार, निजी लिमिटेड कम्पनी को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने पर, या इनके उल्टे, प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को एक सूचना ही भेजनी चाहिए, और ऐसे परिवर्तन किसी नए पंजीकरण की अपेक्षा नहीं करता।
- झ. यदि कोई प्रमाणपत्रधारी अपने प्रमाणपत्र में प्रतिपादित व्यवसाय के बारे में, साझे दारी में दर्ज करता है तो उसे यह तथ्य प्रमाणपत्र-निर्गमन प्राधिकारी को ऐसी साझेदारी में दर्ज करने के तीस दिन की अविध के अन्तर्गत सूचित करना चाहिए और प्रमाणपत्र को उचित रूप से संशोधित पाना चाहिए।
- अ. यदि एक साझेदारी जो प्रमाणपत्रधारी है, विघटित करना है तो हर एक व्यक्ति को, जो विघटन के तुरन्त पूर्व का साझेदार रहा है, विघटन के बारे में, उसके तीस दिन के अन्तर्गत प्रमाणपत्र निर्गमन अधिकारी को, रिपोर्ट भेजनी चाहिए।
- ट. यदि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न हो, या उसमें अपेक्षित कोई भी विवरण न हो, तो वह आवेदन संक्षेपत: रह किया जाएगा।
- ठ. किसी भी व्यक्ति को 'प्रपत्र क' में प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक निर्गमन प्राधिकारी मसाले संसाधन संपत्र/मसाले निर्यातक के यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट न हो।
- ड. निर्यातक को 'प्रपत्र ख' में एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।
- हर अनुवर्ती तिमाहीं² के 10 वें दिन को या उससे पूर्व सचिव, स्पाइसेस बोर्ड को मिल जाए।

^{1, 2.} भारत सरकार, अधिसूचना संख्या 41; दिनांक: 19/10/93 द्वारा संशोधित

After due verification, the certificate issing authority may issue a fresh registration certificate to the new or reconstituted concern, which shall be valid from the date of change in name, ownership, or constitution as the case may be.

- h) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by admission or retirement or death of a partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern,) and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address such change will not require any fresh registration with the certificate issuing authority as laid down. Similarly, in the event of change from Private Limited Company to Public Limited Company or vice-versa, only an intimation should be sent to the certificate issuing authority, and such change shall not require any fresh registration.
- i) If a Certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he shall report the fact to the certificate issuing authority within a period of thirty days of entering into such partnership and get the certificate suitably amended.
- j) If a partnership holding a certificates is dissolved every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report, on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.
- k) If the application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.
- A Certificate in 'Form A' shall not be granted to a person unless the issuing authority is satisfied with the facilities available in the spices processing plant/unit of the exporter of the spices.
- m) The exporter shall maintain a register in 'Form B'.
- n) The exporter of spices shall send to the Board a quarterly¹ statement in 'Form B' so as to reach the Secretary, Spices Board on or before the tenth day of every succeeding (quarter.)²

¹ As ammended by No. MD/L & R/01/92.93 dated 19.10.93. ² Ammended by Notification No. MD/L & R/01/92.93 dated 19.10.93

ण. हर मसाले निर्यातक को, इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी भी अधिकारी को निरीक्षण केलिए सभी लेखे, रिजस्टर एवं अपने व्यापार के संबंध में उसके द्वारा मसाले निर्यातक के रूप में बनाए रखे अन्य रिकार्ड आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना चाहिए।

2. निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण

क. कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहता है उसे वर्ष के 30 जून, जबिक प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होती है, को या उससे पूर्व और उपविनियमों में उल्लिखित ढंग से शुल्क सिहत नियमों में उल्लिखित ''प्रपत्र 1'' प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी को एक आवेदन है।

बशर्ते कि प्रमाणपत्र निर्गमन प्राधिकारी वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख तक नवीकरण, केलिए, हर महीने या उसके भाग के विलंब केलिए 25 रुपये की दर पर, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से एक आवेदन ले लेते है।

- ख. यदि निर्यातक विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करने की अविध के दौरान कोई निर्यात व्यापार नहीं करता है तो, निर्यातक के रूप में प्रमाणपत्र के नवीकरण पर अगले तीन महीनों केलिए विचार नहीं किया जाएगा। फिर भी, यदि निर्यातक एक निर्यात संविदा में भाग लेता है तो, वह इन विनियमों में निर्धारित ढंग से बोर्ड को एक नए निर्यातक प्रमाणपत्र केलिए आवेदित कर सकता है।
- 3. हर एक पंजीकृत निर्यातक को उन मसालों के संबंध में जो समय-समय पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा उल्लिखित किए गए हैं, निर्यात के पूर्व स्पाइसेस बोर्ड से अपने निर्यातों की संविदा पंजीकृत करना चाहिए।
- 4. हर एक पंजीकृत निर्यातक को उन मसालों के संबंध में जो समय-समय पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए है, अपने ब्रैंड नाम पंजीकृत कराना चाहिए, यदि वे ब्रैंड नाम के अधीन उपभोक्ता पैको में निर्यात करना चाहते हैं।

टी. नंदकुमार अध्यक्ष, स्याइसेस बोर्ड. o) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers, and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.

2. Renewal of Certificate as Exporter:

- a) Any person desiring to renew the certificate as exporter shall submit an application in 'Form 1' mentioned in the Rules to the certificate issuing authority accompanied with the fees and in the manner specified in sub-regulation on or before 30th June of the year in which the validity of the certificate expires:
 - Provided that the certificate issuing authority may entertain an application for renewal upto the date of expiry of the existing certificate on payment of additional fee at the rate of Rs. 25 for the delay of each month or part thereof.
- b) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, the renewal of certificate as exporter for the next three years may not be considered. However, if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh exporter certificate in the manner prescribed in these Regulations.
- 3) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Spices Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Spices Board from time to time.
- 4) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Spices Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand names.

T. Nandakumar, Chairman,

Spices Board.

प्रपत्र 'क' निर्यातक के रूप में पंजीकरण-प्रमाणपत्र

(अनन्तरणीय)

(स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा - 11)

प्रमाण पत्र में			
श्री/श्रीमती/मेसर्स	********	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
****************	*****		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
***************************************	*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
को, भारत से मसालों के निर्यातक (निर्यातकों का पंजीकरण) विनि बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों	यम 1989 में	डिल्लिखित शर्ती	तथा स्पाइसेस
प्रमाणपत्र अगस्त के इकतीसवें दिः	न तक विधिमा	य है।	
स्थान-कोच्ची		सचि	व के हस्ताक्षर
तारीख:	(महर)		

FORM A

Certificate of Registration as Exporter

(Not Transferable)

(Section 11 of Spices Board Act, 1986)

Certificate N	o:	************	ú. p)		
Shri/Smt/Mes	ss ṛs			•••••	, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
***********			•	•				
1		•	*****	<u> </u>	24	न न न क के के कि कि कि	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	*******	· · ·				**************************************		1
issued by the The Certifica	•		ay o	f Au	gust	• * • • • • • • • •		
								:
Place: Cochir	ı`			Sign	ature	of Se	creta	ary
Date:		,						
		(Seal)		•	٠.			

प्रपत्र 'ख',

मसाले निर्यातकों की तिमाही विवरणी

[नियम ३(१) (ह) देखें]

.....को समाप्त तिमाही का निर्यात

नियतिक का नाम:

स्माइसेस बोर्ड पंजीकरण सं:

डाक पताः

दूरभाष: टेलेक्स: फैक्स:

एफ ओ बी यूनिट मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
एफ ओ बी मूल्य (रु.)
मात्र (कि.ग्रा.)
वास्तविक पैक/आकार (वजन)
देश जिसको नियाँतित है

उत्पाद का

귀

नियातित मसाला/ मसाला

लदान का भारतीय वतन

लदान को

क्रम स

महीना तिथि/

स्माइसेस बोर्ड का अदा किया गया

उपकर (e) (निर्यातक का हस्ताक्षर)

घोषणा: मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सच है।

स्थान: तारीख: **नोट:**-

तिमाही विवरणी हर तिमाही के अगले महीने के 10 वें दिन के भीतर भेजनी चाहिए।

प्रधान विनियम 24 अनतूबर, 1989 सं. 28 में प्रकाशित हैं।

FORM B

Spices Exporters Quarterly Return [See Regulation 3(1) (n)]

Spices Board Registration No: Name of exporter: Postal Address:

Export for the quarter ending: Telephone:

Telex: Fax:

Spices Board Cess Paid FOB Unit (Rs./Kg.) Value **FOB** Value (Rs.) Quantity Actual pack/ (Weight) Size Country to exported which Name of Spice/ spice product exported of Shipment Indian port Month of Shipment Date/

(Signature of the Exporter) Declaration: I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Place:

Date:

Note:-

1. Report for a quarter should be sent before the 10th day of the succeeding month of every quarter.

2. Principal regulations were published on 24th October 1989. No. 28

अगरत का

राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY 7/1/0

र्स. 175], No. 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2002/भार 14, 1924 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2002/BHADRA 14, 1924

मसाला बोर्ड

अधिसूचना

कोचिन, 4 सितम्बर, 2002

फा. सं. प्रशासन/पंजीकरण/01/2002.— मसाला बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शिकायों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**——(1) इन विनियमों का संक्ष्ति नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 में :--
- (i) विनियम 3 में,---
 - (क) उप-विनियम (1) के खंड (क) में "के सिंचव" शब्दों का लीप किया जाएगा,
 - (ख) उप-विनियम (३) में खंड (घ) के स्थान पर निम्निलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--- ''(घ) प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी, यदि आवेदन की उपयुक्तता के कारे में उनका समाधान हो जाता है तो अधिनियम की अनुसूची में शामिल मसालों के नियात के लिए प्ररूप 'क' में आवेदक की प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा;''
 - (ग) उप-जिनियम (1) के खंड (ठ) में "एक प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर "यदि आवेदन निर्माता निर्यातक के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए है तो एक प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे।
 - (घ) उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
 "(ङ) निर्यातक, बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट, मसालों के निर्यात और आयात पर बोर्ड द्वारा यथा अवधारित विहित प्ररूप में विनिर्दिष्ट आवधिकता पर अपेक्षित दस्तावेजी सबूत के साथ, आवधिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।"
 - (क) उप-विनियम (1) के खंड (त) का लोग किया जाएगा।
 - (च) उप-विनियम (2) के खंड (क) में "25 रुपए" और अंक के स्थान पर "100 रु." अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
- (i) प्ररूप के में ''सिंचय का हस्ताक्षर'' शब्दों के स्थान पर ''बोर्ड हारा प्राधिकृत अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) प्ररूप 'ख' का लोप किया जाएगा।

सी. जे. जोस, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/92-आई/02-असाधारण]

पा**द दिप्पण : —** अधिसूचना फा. सं. प्र/पंजी/01/89 तारी**ख** 5 अक्तूबर, 1989 ।

2781 01/2002

(1)

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 4th September, 2002

- F. No. Admn/Reg/01/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989, with the previous approval of the Central Government, namely:—
- 1. Short title and commencement,—(1) These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2002.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989;-
 - (i) in Regulation 3,-
 - (a) in sub-regulation (1), for clause (a), the words "the Secretary of" shall be deleted.
 - (b) in sub-regulation (I) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —
 "(d) The certificate issuing authority, may if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in form A;"
 - (c) In sub-regulation (1), in clause (l), for words "A certificate" the words "if the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate" shall be substituted;
 - (d) In sub-regulation (1), for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:—
 "(m) The exporter shall submit a periodical return in the prescribed form as determined by the Board on Exports and Imports of Spices, as specified by the Board, from time to time, with required documentary proof at specified periodicity;"
 - (e) in sub-regulation (1), clause (n) shall be omitted;
 - in sub-regulation (2), in clause (a) for the letters and figures "Rs 25", the letters and figures "Rs.100" shall be substituted;
 - (ii) in Form A for the words "Signature of Secretary", the words "Officer Authorised by the Board" shall be substituted;
 - (fii) Form B shall be omitted,

C. J. JOSE, Chairman

[No. Advt/III/IV/92-I/02-Exty.]

Foot Note: -- Notification F. No. Adm/Reg/01/89 dated 5th October, 1989.

HRA AN USIUM The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] No. 105] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2003/आबाइ 9, 1925 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2003/ASADHA 9, 1925

> " मसाला **नो**र्ड

> > **अधिसू**चना

कोचिन, 30 जून, 2003

फा. सं. प्र./रिन./01/2003.— मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप नाम और प्रारम:—(1) इन विनियमों का संक्षिप नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. मसाला बोर्ड (नियातकों का रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 के विनियम 3 में,
 - (i) उप विनियम (1) में खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''ड(क) प्रमाणपत्र धारक निर्यात संविदा में क्रेता के साथ यथा तय पाए गए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मामलों की लदाई करेगा''
 - (ii) उप विनियम 3 में खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
- "(त) प्रमाणपत्र धारक संविदा के निबंधनों के अनुसार क्रेता के साथ की गई निर्यात संविदा के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और यदि जब क्रेता ने संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा कर दिया है तो संविदा के निबंधनों और शर्तों में से किसी का भंग नहीं करेगा।" सी. जे. जोस, अध्यक्ष

[विद्यापन III/IV/80/2003/असा.]

भाद-टिप्पण: मूल विनियम अधिसूचना फा. सं. प्रशासन/रजिस्ट्रीकरण/01/89 तारीख 5 अवतूबर, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्मश्चात् अधिसूचना सं. प्रशासन/रजिस्ट्रीकरण/01/2002, तारीख 4 सितम्बर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 30th June, 2003

F. No. Admn./Reg./01/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, with the previous approval of the Central Government, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2003.

1808 GI/2003

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 in regulation 3,—
- (i) in sub-regulation (1), after the clause (m), the following clause shall be added, namely:—
- "m(a) the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to with the buyer in the export contract."
 - (ii) in sub-regulation 3, after clause (o), the following clause shall be added, namely:—
- "(p) The certificate holder shall fulfil all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per the terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract."

C. J. JOSE, Chairman

[ADVT III/IV/80/2003/Exty.]

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification F. No. Admn./Reg./01/89 dated 5th October, 1989, and subsequently amended vide notification number Admn./Reg./01/2002 dated 4th September, 2002.



HRA En USIUA Che Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

No. 106]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

मसाला बोर्ड अधिसूचना

कोचीन, 21 जून, 2004

फा. सं. प्र./रिज./01/2004.— मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियग, 1986 (1986 का 10) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रिजरट्रीकरण) विनियग, 1989 का और संसोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः-

- 1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसालों बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2004 है।
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 3. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 में, विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगी, अर्थातुः-

" 3. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणयत्र का अनुदत्त किया जाना:-

- (क) धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने का आवेदन बोर्ड को नियमों में उल्लिखित 'प्ररूप 1' में किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन के साथ 2000 रुपए की फीस मसाला बोर्ड, कोचीन के पक्ष में और उसको संदेय एक क्रास डिमांड ड्राफ्ट या डाकीय आदेश या धनादेश के रुप में होगी।
- (ख) यदि केई आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसमें अपेक्षित विशिष्टियों में से कोई विशिष्टि नहीं है तो आवेदन को संक्षेप्त: रह किया जा सकेगा।
- (ग) बोर्ड को एक बार प्रेषित फीस किन्हीं परिस्थितियों में भी प्रतिदेय नहीं होगी।
- (घ) प्रगाणपत्र अनुदत्त करने के आवेदन के साथ आवेदक की वितीय प्रास्थिति की बाबत बैंक का एक निर्देश या प्रमाणपत्र लगा होगा।

- (इ.) प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, यदि उसका आवेदन की उपयुक्तता के बारे में समाधान हो जाता है तो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मसालों का निर्यात करने के लिए आवेदक को 'प्ररूप क' में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
- (च) यदि आवेदन 'प्ररूप क' में विनिर्माणकर्ता नियातकर्ता के रूप में प्रमाणपंत्र के रिजस्ट्रीकरण के लिए है तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप क में कोई प्रमाणपंत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाणपंत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का मसालों के निर्यातकर्ता के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में उपलब्ध सुविदाओं के संबंध में समाधान हो जाता है।

(2) प्रमाणपत्र का नवीकरण,-

(क) निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहने वाला कोई व्यक्ति, नियमों में उल्लिखित प्ररूप 1 में प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्रधिकारी को एक आवेदन करेगा और उसके साथ उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होती है, उन विनियम में विनिर्दिष्ट फीस और रीति में लगी होगी:

परन्तु प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन पर, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख तक, प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब के लिए 100 रुपए की दर से अतिरिक्त फीस के संदाय पर विचार कर सकेगा।

(ख) यदि निर्यातकर्ता उस अवधि के दौरान कोई निर्यात कारबार नहीं करता है जिसके लिए वह कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है तो, निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र के नवीकरण पर अगले तीन वर्षा तक विचार नहीं किया जा सकेगा। तथापि, यदि निर्यातकर्ता कोई निर्यात संविदा करता है तो वह बोर्ड को इन विनियमों में विहित रीति से एक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) प्रमाणपत्र के निबन्धन और शर्ते,-

- (क) प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्रमाणपत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तरण नहीं किया जाएगा।
- (ख) जहां, कोई प्रमाणपत्र धारक अपने कारबार का अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है या अन्यथा अन्तरण करता है वहां, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती इन विनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा।
- (ग) जहां किसी प्रमाणपत्र धारक निर्यातकर्ता के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, वही वह प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा। प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, युक्तियुक्त कारणों से, इस बाबत तीन मास की अविध तक के विलंब को माफ

कर सकेगा। यदि जहां प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विलंब को माफ नहीं किया जाता है या परिवर्तन की अपेक्षित सूचना को विनिर्दिष्ट समय के मीतर नहीं दिया जाता है, वहां निर्यातकर्ता नए रिजरट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। विनिर्माणकर्ता-निर्यातकर्ता की दशा में प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि क्या परिवर्तन की बाबत प्रायोजक प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है। सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी नए समुख्यान को नया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो, यथास्थिति, नाम या पते में परिवर्तन की तारीख से विधिमान्य होगा।

(घ) जहां, मृत्यु के कारण किसी प्रमाणपत्र धारण करने वाली निर्यातकर्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है और स्वामी या भागीदार के रूप में मृतक के विधिक वारिसों का पारिणामिक प्रवेश है (किसी हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब समुत्यान की दशा में कर्ता के परिवर्तन से), और पुनर्गठिन फर्म इसके नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण कारबार का अधिग्रहण करता है वहां इसके नाम और पते के ऐसे परिवर्तन से किसी नए रिजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं होगी:

परन्तु यह कि जहां किसी प्रमाणपत्र धारक के स्वामित्व, गठन, भागीदारी या मुख्तारनामे के धारक में कोई परिवर्तन है, वहां प्रमाणपत्र समाप्त हुआ सामझा जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र अपेक्षित होगाः

परन्तु यह और कि उक्त परन्तुक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को लागू नहीं होगा।

- (ड.) यदि, कोई प्रमाणपत्र धारक, उसके प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले कारबार की बाबत कोई भागीदारी करता है तो वह नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।
- (च) यदि, किसी प्रमाणपत्र के धारण करने वाली भागीदारी का विघटन हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व जो कोई भागीदार था, प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को उसके 30 दिन के भीतर विघटन पर एक रिपोर्ट भेजेगा।
- (छ) प्रमाणपत्र धारक, समय समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्ररूप में मसालों के निर्यात और आयात की बाबत एक नियतकालिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (ज) खण्ड (ट) और (ट) के अधीन सहते हुए, प्रमाणपत्र धारक, निर्यात संविदा में क्रेता के साथ करार पाए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मसालों का यानान्तरण करेगा।
- (अ) मसालों का प्रत्येक निर्यातकर्ता, अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की मांग पर, मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रिजस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
- (अ) प्रमाणपत्र धारक, संविदा के निबन्धनों के अनुसार केता के साथ हुई निर्यात संविदाओं के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और संविदा के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा यदि केता ने संविदा के अधीन बाध्यताओं का पालन किया है।

- (ट) प्रमाणपत्र धारक, किसी ऐसे मसालों के निर्यात की न तो संविदा करेगा और न ही ऐसे मसालों का निर्यात करेगा जो उस देश में प्रवृत्त क्वालिटी मानकों, खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मानकों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- (ठ) प्रमाणपत्र धारक, माल के भौगोलिक विनिर्देश (रिजस्ट्रीकरण और सुरक्षा) अधिनियम, 1999 (1999 की सं. 48) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 की सं. 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 की सं. 22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंधन करते हुए, मसालों का निर्यात नहीं करेगा।
- (ड) प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक, मांग पर अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड या अभिकरण के किसी अधिकारों को, निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किए जा रहे, पैक किए गए, भण्डार किए गए, भण्डारगृह कृत, आधानों में भरे हुए या परिवहन किए जा रहे मसालों से, उसके विश्लेषण करने के लिए, बोर्ड द्वारा अभिहित प्रयोगशालाओं में विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप, का सत्यापन करने के लिए नमूने लेने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- (ह) प्रत्येक प्रमाणपत्रधारक को, यदि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, नियांत करने से रोक सकेगा या पहले से नियांत किए गए ऐसे मसालों को, जो इन विनियमों में यथाउपबंधित लिए गए नमूनों के विश्लेषण के दौरान विहित मानकों का समाधान करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उसके खर्चे पर वापस मंगा सकेगा।
- (ण) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, निर्यात की अपनी संविदा को, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा विहित ऐसे मसालों की बाबत निर्यात से पूर्व रजिस्टर करेगा।
- (त) प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे मसालों की बाबत अपने ब्रांड नामों का रिजस्ट्रीकरण करेगा यदि वे ब्रांड नामों के अधीन उपमोक्ता पैकों में निर्यात का प्रस्ताव करते हैं।"

[फा. सं. 7/2/99-ईपी (एग्री. V)] सी.जे. जोस, अध्यक्ष, [विज्ञापन सं. III/IV/असा./80/04]

पाद टिप्पण:— मूल विनयम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/89 तारीख अक्तूबर 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/ 2002 तारीख 4 सितम्बर, 2002 और अधिसूचना फा.सं० प्रशा०/रजि०/01/2003 तारीख 30 जून, 2003 द्वारा किए गए थे।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 21st June, 2004

F.No. Admn./Reg/01/2004.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act 1986, (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, namely:-

- These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Amendment Regulations, 2004.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation 1989, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-
 - "3. (I) Grant of Certificate of Registration:
 - a) An application for grant of certificate under section 12' shall be made to the Board in 'Form 1' mentioned in the Rules. Every application shall be accompanied by a fee of Rupees two thousand by a crossed demand draft or postal order or money order drawn and payable to the Spices Board, Cochin.
 - b) If an application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.
 - c) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.
 - d) Application for grant of certificate shall be accompanied by a bank reference or certificate in respect of the financial status of the applicant.
 - e) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in 'Form A'.
 - f) If the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate in 'Form A' shall not be granted to a person unless the certificate issuing authority is satisfied with the facilities available in the spices processing plant or unit of the exporter of the spices.

- (2) Renewal of Certificate:-
- a) Any person desiring to renew the certificate as exporter shall submit an application in 'Form 1' mentioned in the Rules to the certificate issuing authority accompanied with the fees and in the manner specified in sub-regulation on or before 30th June of the year in which the validity of the certificate expires:

Provided that the certificate issuing authority may entertain an application for renewal up to the date of expiry of the existing certificate on payment of additional fee at the rate of Rs.100/for the delay of each month or part thereof.

b) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, the renewal of certificate as exporter for the next three years may not be considered. However, if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh certificate in the manner prescribed in these Regulations.

(3) Terms and conditions of certificate:-

- a) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.
- b) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be, shall obtain a fresh certificate in accordance with the provisions of these Regulations and Rules.
- c) Where there is any change in the name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the certificate issuing authority within a period of 30 days from the date of the change. The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard up to a period of three months. In case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time specified, the exporter shall apply for fresh registration. In the case of manufacturer-exporters the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained. After due verification, the certificate issuing authority may issue a fresh registration certificate to the new concern, which shall be valid from the date of change in name or address as the case may be.
- d) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by death and consequential admission of the legal heirs

of the diseased as owner or partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address such change will not require any fresh registration:

Provided that where there is a change in the ownership, constitution, partnership or power of attorney holder of any certificate holder, the certificate shall be deemed to have expired and a fresh certificate shall be required:

Provided further that the said proviso shall not apply to changes in the constitution of the Board of Directors of public limited companies.

- e) If a certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he/she shall apply for a fresh certificate.
- f) If a partnership holding a certificate is dissolved every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report, on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.
- g) The certificate holder shall submit a periodical return regarding exports and imports of spices in the prescribed form as specified by the Board, from time to time.
- Subject to clause (k) and (l), the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to with the buyer in the export contract.
- i) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers, and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.
- j) The certificate holder shall fulfill all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per the terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract.
- k) The certificate holder shall neither contract to export nor export spices which do not conform to the quality standards in force in the country to which they are exported, the standards prescribed by the Prevention of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954) and Rules made thereunder and quality standards prescribed by the Board, from time to time.

- i) The certificate holder shall not export spices in contravention of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (No.48 of 1999) and the rules made thereunder, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (No.1 of 1937) and the rules made thereunder and the Export Quality Control and Inspection Act, 1963 (No.22 of 1963) and the rules made thereunder.
- m) Every certificate holder shall, on demand, allow, any officer of the Board or agency authorized in this behalf by the Chairman, to draw samples, from spices being processed, packed, stored, warehoused, container stuffed or transported for export purposes, for analysis of the same, to verify conformity to prescribed quality standards, in the laboratories designated by the Board.
- n) Every certificate holder shall, if so required, by an officer authorized in this behalf by the Chairman, refrain from exporting or recall if already exported, at his expense, spices, which, during analysis of samples drawn as provided in these regulations, are found to be not satisfying the prescribed standards.
- Every registered exporter shall register his contract of exports with the Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Board from time to time.
- p) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand names."

[F. No. 7/2/99-EP (Agri, V)]
C.J. JOSE, Chairman,
[ADVT No. III/IV/Exty./80/04]

Foot Note:— The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification F.No.Admn/Reg/01/89 dated 5th October 1989 and subsequently amended vide Notification F.No.Admn/Reg/01/2002 dated 4th September 2002 and Notification F.No.Admn/Reg/01/2003 dated 30th June 2003.



असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 120] No. 120] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 2012/वैशाख 15, 1934 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 2012/VAISAKHA 15, 1934

> मसाला बोर्ड अधिसूचना

कोंचिन, 16 अप्रैल, 2012

फा.सं.: विपणन/रिजस्ट्रीकरण/01/09/फा.सं.7/1000/2011-ईपी(एग्री-V)/बागान-घ.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रिजस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :——

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रिजस्ट्रीकरण)
 संशोधन विनियम,2011 है ।
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।
- 3. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण)विनियम, 1989 में विनियम 3 के स्थान पर निम्नितिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- 3. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जानां :-
 - (क) धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत करने का आवेदन बोर्ड को नियमों में उल्लिखित 'प्ररूप 1' में किया जाएगा । प्रत्येक आवेदन के साथ पाँच हज़ार रुपए की फीस मसाला बोर्ड, एरणाकुलम के पक्ष में और उसको संदेय एक क्रास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी ।
 - (ख) यदि कोई आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसमें अपेक्षित विशिष्टियों में से को विशिष्टि नहीं है तो आवेदन को संक्षेपतः रद्द किया जा सकेगा ।
 - (ग) बोर्ड को एक बार प्रेक्षित फीस किन्हीं परिस्थितियों में भी प्रतिदेय नहीं होगी।
 - (घ) प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के आवेदन के साथ आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति की बाबत बैंक का एक निर्देश या प्रमाणपत्र लगा होगा ।

1638 GI/2012

- (इ.) प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, यदि उसका आवेदन की उपयुक्तता के बारे में समाधान हो जाता है तो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मसालों का निर्यात करने केलिए आवेदक को 'प्ररूप क' में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।
- (च) यदि आवेदन विनिर्माणकर्ता निर्यातक के रूप में रिजस्ट्रीकरण केलिए है तो किसी ऐसे व्यक्ति को 'प्ररूप क' में कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाणपत्र जारी' करनेवाले प्राधिकारी का मसालों के निर्यातकर्ता के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में समाधान हो जाता है।

(2) प्रमाणपत्र का नवीकरण

क) निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहने वाला कोई व्यक्ति, नियमों में उिल्लेखित 'प्ररूप 1' में प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा और उसके साथ उस वर्ष के 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होती है, उपविनियम में विनिर्दिष्ट फीस और रीति में लगी होगी । ऐसी अविधि केलिए नवीकरण फीस दो हज़ार पाँच सौ रुपए रहेगी ।

परन्तु प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन पर, विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख तक, प्रत्येक मास या उसके भाग के विलंब केलिए 250 /- रूपए की दर से अतिरिक्त फीस के संदाय पर विचार कर सकेगा ।

विद्यमान प्रमाणपत्र के नवीकरण केलिए 31 अगस्त के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्यातकर्ता अपने विद्यमान प्रमाणपत्रों की समापन तारीख के बाद नए रिजस्ट्रीकरण केलिए आवेदन कर सकते हैं।

(ख) यदि निर्यातकर्ता उस अविध के दौरान कोई निर्यात कारबार नहीं करता है जिसके लिए वह कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है तो, निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र के नवीकरण पर अगले तीन वर्षों तक विचार नहीं किया जा सकेगा । तथापि, यदि निर्यातकर्ता कोई निर्यात संविदा करता है तो वह बोई को इन विनियमों में विहित रीति से एक प्रमाणपत्र केलिए आवेदन कर सकेगा।

"(3) प्रमाणपत्र के निबन्धन और शर्ते :

- (क) प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्रमाणपत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तर्रण नहीं किया जाएगा !
- (ख) जहां, कोई प्रमाणपत्र धारक अपने कारबार का अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है या अन्यथा अन्तरण करता है वहां, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती इन विनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा ।
- (ग) जहां किसी प्रमाणपत्र धारक निर्यातकर्ता के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, वहीं वह प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को परिवर्तन की तारीख से 30 दिन की अविधि के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा। प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, युक्तियुक्त कारणों से, इस बाबत तीन मास की अविधि तक के विलंब को माफ कर सकेगा । यदि जहां प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विलंब को माफ नहीं किया जाता है या

परिवर्तन की अपेक्षित सूचना को विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया जाता है, वहां निर्यातकर्ता नए रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा । विनिर्माणकर्ता-निर्यातकर्ता की दशा में प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि क्या परिवर्तन की बाबत प्रायोजक प्राधिकारी की अनुजा प्राप्त कर ली गई है । सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी नए समुत्थान को नया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो यथास्थिति, नाम या पते में परिवर्तन की तारीख से विधिमान्य होगा ।

(घ) जहां, मृत्यु के कारण किसी प्रमाणपत्र धारण करनेवाली निर्यातकर्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है और स्वामी या भागीदार के रूप में मृतक के विधिक वारिसों का पारिणामिकप्रवेश है (किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब समुत्थान की दशा में कर्ता के परिवर्तन से), और पुनर्गठित फर्म इसके नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण कारबार का अधिग्रहण करता है वहां इसके नाम और पते के ऐसे परिवर्तन से किसी नए रिजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं होगी।

परन्तु यह कि जहां किसी प्रमाणपत्र धारक के स्वामित्व, गठन, भागीदारी या मुख्तारनामें के धारक में कोई परिवर्तन है, वहां प्रमाणपत्र समाप्त हुआ समझा जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

परन्तु यह और कि उक्त परन्तुक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों पर लागू नहीं होगा ।

- (इ.) यदि, कोई प्रमाणपत्र धारक, अपने प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आने वाले कारबार की बाबत कोई भागीदारी करता है तो वह नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा/करेगी !
- (च) यदि, किसी प्रमाणपत्र के धारण करनेवाली भागीदारी का विघटन हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व जो कोई भागीदार था, प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को उसके 30दिन के भीतर विघटन पर एक रिपोर्ट भेजेगा।
- (छ) प्रमाणपत्र धारक, समय समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में मसालों के निर्यात और आयात की बाबत एक नियतकालिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।
- (ज) खण्ड(ट) और (ठ) के अधीन रहते हुए, प्रमाणपत्र धारक, निर्यात संविदा में क्रता के साथ करार पाए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मसालों का यानान्तरण करेगा ।
- (झ) मसालों का प्रत्येक निर्यातकर्ता, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की मांग पर, मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
- (ञ) प्रमाणपत्र धारक, संविदा के निबन्धनों के अनुसार क्रेता के साथ हुई निर्यात संविदाओं के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और संविदा के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा यदि क्रेता ने संविदा के अधीन बाध्यताओं का पालन किया है।

- (ट) प्रमाणपत्र धारक, किसी ऐसे मसालों के निर्यात की न तो संविदा करेगा और न ही ऐसे मसालों का निर्यात करेगा नो उस देश में प्रवृत क्वालिटी मानकों, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006(2006 की सं. 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मानकों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं है।
- (ठ) प्रमाणपत्र धारक, माल के भौगोलिक विनिर्देश (रजिस्ट्रीकरण और सुरक्षा) अधिनियम, 1999(1999 की सं.48) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कृषि उपज(श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 की सं, 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निर्यात क्वांलिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963(1963 की सं.22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए, मसालों का निर्यात नहीं करेगा।
- (ड) प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक, मांग पर अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत बोर्ड या अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किए जा रहे, पैक किए गए, भण्डार किए गए, भण्डार किए गए, भण्डारगृह कृत, आधानों में भरे हुए या परिवहन किए जा रहे मसालों से, उसके विश्लेषण करने केलिए, बोर्ड की प्रयोगशालाओं या बोर्ड द्वारा अभिहित प्रयोगशालाओं में विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप, का सत्यापन करने केलिए नमूने लेने केलिए अनुजात करेगा।
- (ढ) प्रत्येक प्रमाणपत्रधारक को, यदि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, निर्यात करने से रोक सकेगा या पहले से निर्यात किए गए ऐसे मसालों को, जो इन विनियमों में यथाउपविधित लिए गए नम्नों के विश्लेषण के दौरान विहित मानकों का समाधान करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उसके खर्च पर वापस मंगा सकेगा।
- (ण) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, निर्यात की अपनी संविदा को, समय समय पर बोर्ड द्वारा यथा विहित ऐसे मसालों की बाबत निर्यात से पूर्व रजिस्टर करेगा !
- (त) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा अधिस्चित ऐसे मसालों की बाबत अपने ब्रांड नामों का रजिस्ट्रीकरण करेगा यदि वे ब्रांड-नामों के अधीन उपभोक्ता पैकों में निर्यात का प्रस्ताय करते हैं।"

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/80/12/असा.]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं.प्रशा./रजि./01/89 तारीख 5 अक्बर 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना फा.सं.प्रशा./रजि./01/2002 तारीख 4 सितम्बर, 2002 और अधिसूचना फा.सं.प्रशा./रजि./01/2003 तारीख 30 जून, 2003 और अधिसूचना फा.सं.प्रशा./रजि./01/2004 तारीख 21 जून 2004 द्वारा किए गए थे।

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 16th April, 2012

F. No. MKT/REGN/01/09/F. No.7/1000/2011-EP(Agri.V) /Plant D.— In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 namely:—

- These Regulations may be called the Spices Board (Registration at Exporters) Amendment Regulations, 2011.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation 1989 for regulation 3, the following regulation shall be substituted namely:-
- 3. (1) Grant of Certificate of Registration:-
- a) An application for grant of certificate under section 12 shall be made to the Board in 'Form-1" mentioned in the Rules. Every application shall be accompanied by a fee of rupees five thousand by a crossed demand draft drawn and payable to the Spices Board, Ernakulam.
- b) If an application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars the application may be summarily rejected.
- c) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.
- d) Application for grant of certificate shall be accompanied by a bank reference or certificate in respect of the financial status of the applicant.
- e) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in 'Form A'.
- f) If the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate in 'Form A' shall not be granted to a person unless the certificate issuing authority is satisfied with the facilities available in the spices processing plant or unit of the exporter of the spices.

(2) Renewal of Certificate

a) Any person desiring to renew the certificate as exporter shall submit an application in "Form 1" mentioned in the Rules to the certificate issuing authority accompanied with the fees and in the manner specified in sub-regulation on or before 30th June of the year in which the validity of the certificate expires. Renewal fee for such period shall be rupees two thousand five hundred.

Provided that the certificate issuing authority may entertain an application for renewal up to the date of expiry of the existing certificate on payment of additional fee at the rate of Rs.250/- for the delay of each month or part thereof.

Application received after 31st August shall not be entertained for renewal of existing certificate. Such exporters may apply for fresh registration after the expiry date of their existing certificates.

b) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, the renewal of certificate as exporter for the next three years may not be considered. However, if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh certificate in the manner prescribed in these Regulations.

"(3) Terms and Conditions of Certificate:

- a) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the Certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.
- b) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be shall obtain a fresh certificate in accordance with the provisions of these Regulations and Rules.
- c) Where there is any change in the name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the certificate issuing authority within a period of 30 days from the date of the change. The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard up to a period of three months. In case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time specified, the exporter shall apply for fresh registration. In the case of manufacturer

exporters, the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the sponsoring authority in regard to the change has been obtained. After due verification, the certificate issuing authority may issue a fresh registration certificate to the new concern, which shall be valid from the date of change in name or address as the case may be.

- d) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by death and consequential admission of the legal heirs of the deceased as owner or partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address such change will not require any fresh registration.
 - a. Provided that where there is a change in the ownership constitution, partnership or power of attorney holder of any certificate holder, the certificate shall be deemed to have expired and a fresh certificate shall be required.
 - b. Provided further that the said proviso shall not apply to changes in the constitution of the Board of Directors of public limited companies.
- e) If a certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he/she shall apply for a fresh certificate.
- f) If a partnership holding a certificate is dissolved every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.
- g) The certificate holder shall submit a periodical return regarding exports and imports of spices in the prescribed form as specified by the Board, from time to time.
- h) Subject to clause (k) and (l), the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to with the buyer in the export contract.
- i) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorized in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.
- j) The certificate holder shall fulfill all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per the terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract.

- k) The certificate holder shall neither contract to export nor export spices which do not conform to the quality standards in force in the country to which they are exported, the standards prescribed by the Food Safety and Standards Act 2006 (No.34 of 2006) and the Rules made thereunder and quality standards prescribed by the Board, from time to time.
- The certificate holder shall not export spices in contravention of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 (No.48 of 1999) and the rules made thereunder, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (No.1 of 937) and the rules made thereunder and the Export Quality Control and Inspection Act, 1963 (No.22 of 1963) and the rules made thereunder.
- m) Every certificate holder shall, on demand, allow, any officer of the Board or agency authorized in this behalf by the Chairman, to draw samples, from spices being processed, packed, stored, warehoused container stuffed or transported for export purposes, for analysis of the same, to verify conformity to prescribed quality standards, in the laboratories of the Board or in the laboratories designated by the Board.
- n) Every certificate holder shall, if so required, by an officer authorized in this behalf by the Chairman, refrain from exporting or recall if already exported, at his expense, spices, which, during analysis of samples drawn as provided in these regulations, are found to be not satisfying the prescribed standards.
- o) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Board from time to time.
- p) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand names."

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman [ADVT. III/4/80/12/Exty.]

Foot Note.-

The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification F. No. Admn/Reg/01/89 dated 5th October 1989 and subsequently amended vide Notification F. No. Admn/Reg/01/2002 dated 4th September 2002, Notification F. No. Admn/Reg/01/2003 dated 30th June 2003 and Notification F. No. Admn/Reg/01/2004 dated 21st June 2004.



EXTRAORDINARY

भाग [[[—खण्ड 4

PART III -- Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934

No. 197]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

SPICES BOARD

CORRIGENDUM

Cochin, the 3rd August, 2012

F. No. MKT/REGN/01/09/F.No. 7/1000/2011-EP(Agri. V)/Plant D.—In the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 16-4-2012, vide ADVT. III/4/80/12/Exty. amending the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, point no. 1 may be corrected and read as:


 These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Amendment Regulations, 2011.

instead of

 These Regulations may be called the Spices Board (Registration at Exporters) Amendment Regulations, 2011.

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman

[Advt. III/4/80/12/Exty.]





असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

- फा. सं. विप.-रजि./0002/2007.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम1989 का और संशोधन करने केलिए निम्नलिखित विनियम बनाता है। अर्थात:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 में, विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "3. रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अनुदत्त किया जाना.—(1) बोर्ड को, तीन वर्षों की खंड अवधि या उसके किसी भाग के लिए, धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन, विहित प्ररूप में दिया जाएगा, जिसके साथ नीचे दिए अनुसार फीस और यथा लागू कर, संलग्न होगा।

- (i) विनिर्माता निर्यातकर्ता : 15,000/- रुपए
- (ii) वाणिज्यिक निर्यातकर्ता : 10,000/- रुपए
- (2) फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पाने वाले के खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी और प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए, प्रमाणपत्र अनुदत्त करने हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (3) यदि कोई आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसमें अपेक्षित विशिष्टियों में से कोई विशिष्टि नहीं है, तो आवेदन को संक्षेपतः रद्द किया जा सकेगा।
- (4) बोर्ड को एक बार प्रेषित फीस किन्हीं परिस्थितियों में भी प्रतिदेय नहीं होगी।
- (5) प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के आवेदन के साथ आवेदक की वित्तीय स्थिति की बाबत बैंक का एक निर्देश या प्रमाण पत्र लगा होगा ।
- (6) प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, यदि आवेदन की उपयुक्तता के बारे में उसका समाधान हो जाता है, तो अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित मसालों का निर्यात करने केलिए आवेदक को विहित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
- (7) यदि आवेदन विनिर्माता निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण केलिए है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को विहित प्रपत्र में कोई प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी मसालों के निर्यातकर्ता के मसाला प्रसंस्करण संयंत्र या इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में समाधान हो जाता है।
- 4. प्रमाणपत्र का नवीकरण.—(1) निर्यातकर्ता के रूप में प्रमाणपत्र का नवीकरण चाहने वाला कोई व्यक्ति या अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किए जाने केलिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, विहित प्रपत्र में, विद्यमान प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने वाली तारीख को या उससे पूर्व, प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा, जिसके साथ निम्नानुसार फीस और कर, जैसेकि लागू हो, संलग्न होगा।

नवीकरण/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना

(क) विनिर्माता निर्यातकर्ता : 10,000/- रुपए

(ख) वाणिज्यिक निर्यातकर्ता: 7,500/- रुपए

परंतु , प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति के बाद विद्यमान प्रमाणपत्र के नवीकरण केलिए प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे निर्यातकर्ता नए रजिस्ट्रीकरण केलिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पाने वाले के खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी। प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अविध के लिए, नवीकरण या अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(3) यदि निर्यातकर्ता उस अविध के दौरान कोई निर्यात कारबार नहीं करता है जिसके लिए वह कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है तो, अगले तीन वर्षों तक केलिए उन्हें अपने प्रमाणपत्र के नवीकरण से विवर्जित किया जा सकता है;

परंतु, यदि निर्यातकर्ता कोई निर्यात संविदा करता है तो वह बोर्ड को इन विनियमों में विहित रीति से एक प्रमाणपत्र केलिए आवेदन कर सकता है।

- 5. प्रमाणपत्र के निबन्धन और शर्तें.—(1) प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र धारक को व्यक्तिगत रूप से अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्रमाणपत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तरण नहीं किया जाएगा।
 - (2) जहां, कोई प्रमाणपत्र धारक अपने कारबार का अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है या अन्यथा अन्तरण करता है वहां, यथास्थिति, क्रेता या अन्तरिती इन विनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार नए प्रमाणपत्र केलिए आवेदन करेगा।
 - (3) जहां किसी प्रमाणपत्रधारक निर्यातकर्ता के नाम या पते में कोई परिवर्तन होता है, वही वह प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर परिवर्तन की सूचना देगा, साथ ही आवश्यक समर्थक दस्तावेज़ों तथा प्रत्येक संशोधन केलिए 5000/- रुपए के फीस के साथ प्रमाणपत्र के संशोधन केलिए निवेदन करेगा और फीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची में संदेय क्रॉस पानेवाले खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में होगी और प्रत्येक पश्चातवर्ती खंड अविध के लिए, प्रमाणपत्र में संशोधन हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।
 - (4) प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से, इस बाबत तीन मास की अविध तक के विलंब को माफ कर सकेगा और यदि जहां प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा विलंब को माफ नहीं किया जाता है या परिवर्तन की अपेक्षित सूचना विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती है, वहां निर्यातकर्ता विनियम 3 के उप विनियम(1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।
 - (5) विनिर्माता-निर्यातकर्ता की दशा में, प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी यह भी सत्यापित करेगा कि क्या परिवर्तन बाबत संबंधित प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है और सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, प्रमाणपत्र जारी करनेवाला प्राधिकारी नए समुत्थान को नया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो यथास्थिति, नाम या पते में परिवर्तन की तारीख से विधिमान्य होगा।
 - (6) जहां, मृत्यु के कारण किसी प्रमाणपत्र धारण करनेवाली निर्यातकर्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है और स्वामी या भागीदार के रूप में मृतक के विधिक वारिसों का पारिणामिक प्रवेश होता है (किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब समुत्थान की दशा में कर्ता के परिवर्तन से), और पुनर्गठित फर्म इसके नाम और पते में किसी परिवर्तन के बिना पूर्ण कारबार का अधिग्रहण करता है वहां ऐसे परिवर्तन से किसी नए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं होगी।

परन्तु यह कि जहां किसी प्रमाणपत्रधारक के स्वामित्व, गठन, भागीदारी या मुख्तारनामे के धारक में कोई परिवर्तन है, वहां प्रमाणपत्र समाप्त हुआ समझा जाएगा और एक नया प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

परन्तु यह और कि नया प्रमाण पत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशक- बोर्ड के गठन के परिवर्तनों पर अपेक्षित नहीं होगा।

- (7) यदि, कोई प्रमाण पत्र धारक, उसके प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आनेवाले कारबार बाबत कोई भागीदारी करता है तो वह नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा/ करेगी।
- (8) यदि, प्रमाण पत्र धारण करने वाली किसी भागीदारी का विघटन हो जाता है तो, प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व कोई भागीदार था, उसके तीस दिन के भीतर विघटन पर एक रिपोर्ट प्रमाणपत्र जारी करनेवाले प्राधिकारी को भेजेगा।
- (9) प्रमाण पत्र धारक, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, विहित प्ररूप में मसालों के निर्यात और आयात बाबत एक तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा और तिमाही विवरण प्रस्तुत न करना विनियम का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही, बोर्ड द्वारा जब कभी मांग की जाने पर मसाला निर्यातक के रूप में उनके कारबार के संबंध में कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।
- (10) उप विनियमन (13) और (14) के अधीन रहते हुए, प्रमाणपत्रधारक, निर्यात संविदा में क्रेता के साथ करार पाए विनिर्दिष्ट क्वालिटी मानकों के मसालों का यानान्तरण करेगा।
- (11) मसालों का प्रत्येक निर्यातकर्ता, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की मांग पर, मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में उसके कारबार के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
- (12) प्रमाण पत्र धारक, संविदा के निबन्धनों के अनुसार केता के साथ हुई निर्यात संविदाओं के अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करेगा और संविदा के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा, यदि केता ने संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं का पालन किया है।
- (13) प्रमाण पत्र धारक, किसी ऐसे मसालों के निर्यात की न तो संविदा करेगा और न ही ऐसे मसालों का निर्यात करेगा, जो निर्यात किए जानेवाले देश में प्रवृत्त क्वालिटी मानकों, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006(2006 की सं. 34) द्वारा विहित मानकों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं है।
- (14) प्रमाण पत्र धारक, माल की भौगोलिक संसूचना (रिजस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम,1999 (1999 की सं. 48) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1937 की सं. 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा निर्यात क्वालिटी (नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963(1963 की सं. 22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए, मसालों का निर्यात नहीं करेगा।
- (15) प्रत्येक प्रमाण पत्र धारक, मांग पर, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड या अभिकरण के किसी अधिकारी को, निर्यात-प्रयोजनों के लिए प्रसंस्कृत किए जा रहे, पैक किए गए, भण्डारण किए गए, भण्डारगृह कृत, आधानों में भरे हुए या परिवहन किए जा रहे मसालों से, उसके विश्लेषण केलिए, बोर्ड की प्रयोगशालाओं या बोर्ड द्वारा अभिहित प्रयोगशालाओं में विहित क्वालिटी मानकों के अनुरूप, का सत्यापन करने केलिए, नमूने लेने केलिए अनुज्ञात करेगा।

- (16) प्रत्येक प्रमाण पत्र धारक को, यदि अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, निर्यात करने से रोक सकेगा या पहले से निर्यात किए गए ऐसे मसालों को, जो इन विनियमों में यथाउपबंधित लिए गए नमूनों के विश्लेषण के दौरान विहित मानकों का समाधान करते हुए नहीं पाए जाते हैं, उसके खर्चे पर वापस मंगवा सकेगा।
- (17) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, निर्यात की अपनी संविदा को, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाविहित ऐसे मसालों बाबत, निर्यात से पूर्व रजिस्टर करेगा।
- (18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे मसालों बाबत अपने ब्रांड नामों का रजिस्ट्रीकरण करेगा, यदि वे ब्रांड-नाम के अधीन उपभोक्ता-पैकों में निर्यात का प्रस्ताव करते हैं।

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./389/16-17]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/89, दिनांक: 05 अक्तूबर 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2002, तारीख 4 सितम्बर, 2002,

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2003, तारीख 30 जून, 2003,

अधिसूचना फा. सं. प्रशा./रजि./01/2004 तारीख 21 जून 2004,

अधिसूचना फा. सं. विप/रजि./01/09/ फा. सं. 7/1000/2011-ईपी(एग्री.V)/बागान-डी, दिनांक:16 अप्रैल, 2012 व अधिसूचना फा. सं. विप/रजि./01/09/ फा. सं. 7/1000/2011-ईपी (एग्री.V)/बागान-डी,दिनांक: 03-08-2012 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd January, 2018

- **F. No. MKT-REGN/0002/2017.**—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act,1986 (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, namely:-
 - 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) Amendment Regulations, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation, 1989, for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely:-

"3. Grant of Certificate of Registration.—(1) An application for grant of certificate under section 12, for a block period of three years or part thereof, shall be made to the Board in the prescribed form which shall be accompanied by a fee as given below, plus tax as applicable,

(i) Manufacturer Exporter : Rs.15,000/(ii) Merchant Exporter : Rs.10,000/-

- (2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for grant of certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.
- (3) If an application is not in the prescribed form or does not contain any of the required particulars, the application may be summarily rejected.
- (4) The fees once remitted to the Board shall not be refunded under any circumstances.
- (5) Application for grant of certificate shall be accompanied by a bank reference or certificate in respect of the financial status of the applicant.
- (6) The certificate issuing authority may, if he is satisfied as to the suitability of the application, issue a certificate to export spices included in the Schedule of the Act, to the applicant in the prescribed form.
- (7) If the application is for registration as manufacturer exporter, a certificate in the prescribed form shall not be granted to a person unless the certificate issuing authority is satisfied with the facilities available in the Spices Processing Plant or unit of the exporter of the spices.
- 4. Renewal of Certificate.—(1) Any person desiring to renew the certificate as exporter or apply for issue of duplicate certificate shall submit an application in the prescribed form to the certificate issuing authority, on or before the expiry of the validity of the existing certificate, accompanied with the fees as given below, plus the tax as applicable,

Renewal/Issue of Duplicate Certificate

(a) Manufacturer Exporter: Rs.10,000/-

(b) Merchant Exporter : Rs.7,500/-

Provided that applications received after the expiry of validity of the certificate, shall not be entertained for renewal of existing certificate and such exporters may apply for fresh registration.

- (2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for renewal or issue of duplicate certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.
- (3) If the exporter does not carry on any export business during the period in which he holds a valid certificate, he may be debarred from renewing his certificate for the next three years;

Provided that if the exporter enters into an export contract, he may apply to the Board for a fresh certificate in the manner prescribed in these regulations.

- 5. Terms and Conditions of Certificate.—(1) Every certificate shall be deemed to have been granted personally to the Certificate holder and no certificate shall be sold or otherwise transferred.
 - (2) Where a certificate holder sells or otherwise transfers his business to another person, the purchaser or transferee, as the case may be shall apply for a fresh certificate in accordance with the provisions of these regulations and rules.
 - (3) Where there is any change in the name or address of any certificate holding exporter, he shall intimate the change to the certificate issuing authority within a period of thirty days from the date of change, along with request for amendment of certificate, accompanied by necessary supporting documents and a fees of Rs. 5000 for each amendment and the fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for amendment of certificate, as prescribed by the Spices Board from time to time.

- (4) The certificate issuing authority may for sufficient reasons condone any delay in this regard up to a period of three months and in case where the delay is not condoned by the certificate issuing authority or requisite intimation about the change is not sent within the time specified, the exporter shall apply for fresh registration, accompanied by the fee as specified in sub-regulation (1) of regulation 3.
- (5) In the case of manufacturer exporters, the certificate issuing authority shall also verify whether the permission of the authorities concerned, in regard to the change, has been obtained and after due verification, the certificate issuing authority may issue a fresh registration certificate to the new concern, which shall be valid from the date of change in name or address as the case may be.
- (6) Where there is a change in the constitution of a certificate holding exporter firm by death and consequential admission of the legal heirs of the deceased as owner or partner (or by a change of Karta in the case of Hindu undivided family concern), and the reconstituted firm takes over the business as a whole without any change in its name and address, such changes will not require any fresh registration:

Provided that where there is a change in the ownership, constitution, partnership or power of attorney holder of any certificate holder, the certificate shall be deemed to have expired and a fresh certificate shall be required:

Provided further that fresh certificate shall not be required to changes in the constitution of the Board of Directors of public limited companies.

- (7) If a certificate holder enters into a partnership in regard to the business covered by his certificate, he or she shall apply for a fresh certificate.
- (8) If a partnership, holding a certificate is dissolved, every person who was a partner immediately before such dissolution shall send a report on the dissolution to the certificate issuing authority within thirty days thereof.
- (9) The certificate holder shall submit quarterly returns regarding exports and imports of spices in the prescribed forms as specified by the Board from time to time and non submission of quarterly returns shall be considered as violation of the regulation and shall also furnish any other information in connection with his business as spice exporter, as and when called for by the Board.
- (10) Subject to sub-regulations (13) and (14), the certificate holder shall effect shipment of spices of specified quality standards as agreed to, with the buyer in the export contract.
- (11) Every exporter of spices shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as spices exporter.
- (12) The certificate holder shall fulfill all obligations under the export contracts entered into with the buyer as per terms of the contract and shall not commit any breach of the terms and conditions of the contract, if the buyer has fulfilled his obligations under the contract.
- (13) The certificate holder shall neither contract to export nor export spices which do not conform to quality standards in force in the country to which they are exported, the standards prescribed by the Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder and quality standards prescribed by the Board, from time to time.
- (14) The certificate holder shall not export spices in contravention of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999 (48 of 1999) and the rules made thereunder, the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the rules made thereunder and the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and the rules made thereunder.
- (15) Every certificate holder shall, on demand, allow, any officer of the Board or agency authorised in this behalf by the Chairman, to draw samples, from spices being processed, packed, stored, warehoused, container stuffed or transported for export purposes, for analysis of the same, to verify conformity to prescribed quality standards, in the laboratories of the Board or in the laboratories designated by the Board.
- (16) Every certificate holder shall, if so required, by an officer authorised in this behalf by the Chairman, refrain from exporting or recall if already exported, at his expense, spices which during analysis of samples drawn as provided in these regulations, are found to be not satisfying the prescribed standards.

(17) Every registered exporter shall register his contract of exports with the Board prior to the export in respect of such spices as specified by the Board from time to time.

(18) Every registered exporter shall register his brand names in respect of such spices as notified by the Board from time to time, if they propose to export in consumer packs under brand name.

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./389/16-17]

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification F. No. Admn/Reg/01/89, dated the 5th of October, 1989 and subsequently amended vide

Notification F. No. Admn/Reg/01/2002, dated the 4th of September, 2002,

Notification F. No. Admn/Reg/01/2003, dated the 30th of June, 2003,

Notification F. No. Admn/Reg/01/2004, dated the 21st of June, 2004,

Notification F. No. Mkt/Regn/01/09/F. No. 7/1000/2011-EP(Agri.V)/Plant D, dated the 16th April, 2012 &

Notification F. No. Mkt/Regn/01/09/F. No. 7/1000/2011-EP(Agri.V)/Plant D, dated the 3rd of August, 2012.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018,01.19 19:59:36 +05'30'